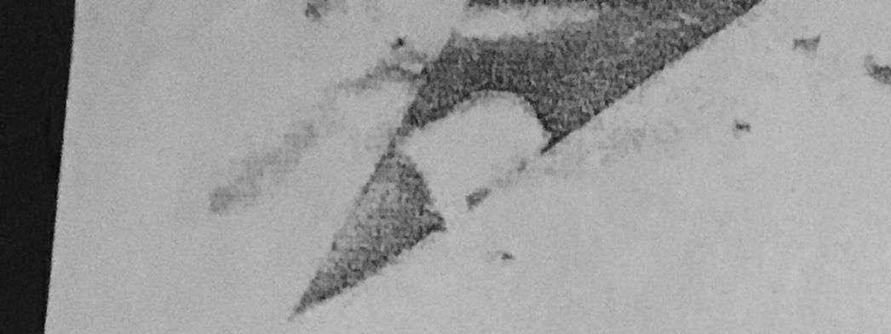

127/2017

प्रपत्र संख्या 29 (नियम 12)
अन्वेषण का प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रार्थना पत्र की संख्या

श्री नेम सिंह सिरोही एड मथुरा

ने मेरे पास नीचे उल्लिखित सम्पति क पत्र-देने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है । सम्पति का विवरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित के अनुसार दिया जायेगा ।

आवेदक आमंत्रण लि० 7 एम-एम-सी कालका जी नई दिल्ली डायरेक्टर प्रवीन मेहता S/o श्री दीवान चन्द मेहता ए-म-न० 330 सैक्टर 7 A फरीदाबाद

कागजात खतौनी खाता सं० 439 51
खसरा नम्बर 586 रकबा 0-894 हे०
खसरा नम्बर 577 रकबा 2-116 हे०
मौजा सुनरख बांगर
व खसरा नम्बर 574 रकबा 0.757 हे०

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पति हर प्रभाव डालने वाले कार्यों तथा तत्सम्बन्धी भार प्रस्तावों के लिये वर्ष 29/7/1905 से 21/7/17 तक प्रस्तुत तथा अनुक्रमणिकाओं का अन्वेषण किया गया है और ऐसे अन्वेषण से निम्नलिखित कार्य भार ग्रस्तता प्रकट होता है ।

सम्पति का विवरण जैसा लेक्ष्य में दिया है ।	निष्पादन का दिनांक	लेखा का प्रकार तथा मूल्य	पक्षकारों के नाम निष्पादन अलटमेन्ट	प्रविष्ट संख्या वर्ष
		Nil		

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कार्यों तथा ग्रस्तताओं के अतिरिक्त उक्त सम्पति जो प्रसावित करने वाला कोई अन्य भार प्रस्तुता प्राप्त नही हुई है ।

1- इस प्रमाण में प्रदर्शित वे भार ग्रस्तिताऐं है जो कि प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पति के विवरण से अभिन्न है । यदि निबधन अभिलेखों में सम्पति का विवरण अपने से भिन्न रीति से दिया गया है जैसा प्रार्थी ने नही लिखा है तो उस स्थिति में वैसी भार ग्रस्तियों का प्रमाण पत्र में समावेश नही किया जायेगा ।

2- वांछित अन्वेषण व प्रमाण-पत्र यथा सम्भव सावधानी पूर्वक कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है । फिर भी विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण-पत्र की त्रुटि अथवा इसके परिणामों के लिये उत्तरदायी नही है ।

विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण-पत्र की त्रुटि अथवा इसके परिणामों के लिये उत्तरदायी नही है । किन्तु जिसका निबंधन हो गया है के सम्बन्ध मे भार [illegible] हो जो प्रस्तुत हो गये है किन्तु जिसका निबंधन हो गया है के सम्बन्ध मे भार

प्रभारी अभिलेखागार
का०उ०नि० II मथुरा

1272
20/7/11

प्रपत्र संख्या 29 (नियम 12)
अन्वेषण का प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रार्थना पत्र की संख्या

श्री .... सोम सिंह सिरोही एड कलक्ट्रेट मथुरा ....

ने मेरे पास नीचे उल्लिखित सम्पति क पत्र-देने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है । सम्पति का विवरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित के अनुसार दिया जायेगा ।

मौजूदा -> [illegible] एवकल पर्स प्रा०लि० द्वारा अधि०- प्रतिनिधि कपिल गुप्ता पु० रमेश चन्द्र गुप्ता नि० [illegible] स्त्री- कालका जी नई दिल्ली	आराजी रकबा खाता नं० 35 खसरा नम्बर 523 रकबा 0-413हे०मे० ख०नं० 557 रकबा 0-343हे०मे० ख०नं० 555 रकबा 0-506है० ख०नं० 557 रकबा 0.376 हे० कुल पश्चिम रकबा 1-688हे० लगान 16/40 मौजा सुनरख योग

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पति हर प्रभाव डालने वाले कार्यों तथा तत्सम्बन्धी भार प्रस्तावों के लिये वर्ष 22/7/2005 से 21/7/11 तक प्रस्तुत तथा अनुक्रमणिकाओं का अन्वेषण किया गया है और ऐसे अन्वेषण से निम्नलिखित कार्य भार ग्रस्तता प्रकट होता है ।

सम्पति का विवरण जेसा लेक्ष्य में दिया है ।	निष्पादन का दिनांक	लेखा का प्रकार तथा मूल्य	पक्षकारों के नाम निष्पादन अलटमेन्ट	प्रविष्ट संख्या वर्ष
मौजूदा व उपलब्ध रिकार्ड इंडेक्सनं० II की जाँच करने पर प्रार्थी का कोई भार नहीं पाया/				

मै यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपोरक्त कार्यो तथा ग्रस्तताओं के अतिरिक्त उक्त सम्पति जो प्रसावित करने वाला कोई अन्य भार प्रस्तुता प्राप्त नही हुई है ।

1- इस प्रमाण में प्रदर्शित वे भार ग्रस्तिताऐं है जो कि प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पति के विवरण से अभिन्न है । यदि निबधन अभिलेखों में सम्पति का विवरण अपने से भिन्न रीति से दिया गया है जैसा प्रार्थी ने नही लिखा है तो उस स्थिति में वैसी भार ग्रस्तियों का प्रमाण पत्र में समावेश नही किया जायेगा ।

2- वाछिंत अन्वेषण व प्रमाण-पत्र यथा सम्भव सावधानी पूर्वक कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है । फिर भी विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण-पत्र की त्रुटि अथवा इसके परिणामों के लिये उत्तरदायी नही है ।

[illegible] किन्त जिसका निबंधन हो गया है के सम्बन्ध मे भार

प्रभारी अभिलेखागार
का०उ०नि० II मथुरा